सूचना का अधिकार अधिनियम–2005
की धारा–4 (1) (बी) के अन्तर्गत
बनाये गये मैनुअल की
सामग्री

1— गृह राजनैतिक पेंषन विभाग का विवरण, कार्य एवं दायित्व

राजनैतिक पेंषन विभाग में राश्ट्रीय भावना एवं निश्काम भाव से प्रेरित होकर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंषन, उनकी सुविधाओं तथा सहायता आदि से सम्बन्धित कार्य कलाप निश्पादित किये जाते हैं। राजनैतिक पेंषन विभाग में वर्तमान में प्रमुख सचिव, सचिव, विषेश सचिव तथा एक अनुसचिव तैनात हैं। विभाग में षासन स्तर पर तीन अनुभाग हैं। राजनैतिक पेंषन विभाग के अधीनस्थ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कठिनाईयों आदि के निवारण के लिए राज्य स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिशद की स्थापना षासनादेष दिनांक 12 फरवरी, 1973 द्वारा की गयी है। इसके साथ यह एक निदेषालय भी है, और निदेषक ही इस परिशद के पदेन सचिव हैं। इसके अतिरिक्त विषिश्ट स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की यादगार में मूर्तियों, स्तम्भों एवं षहीद स्मारकों के निर्माण कार्य हेतु स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान भी कार्यरत है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के निःषुल्क आवास के उद्देष्य से रिवर बैंक कालौनी, लखनऊ व मथुरा में एक–एक सेवा सदन स्थापित है। मा0 मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष एवं मा0 राजनैतिक पेंषन मंत्री जी उपाध्यक्ष हैं।

देष की आजादी की लड़ाई में आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर सेनानियों के त्याग एवं बलिदान के प्रति उच्च आदर भाव एवं सम्मान प्रदर्षित करने के उद्देष्य से राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंषन/अनुदान की योजना चलायी गयी। यह योजना वर्श 1947 से लागू की गयी। कालान्तर में पेंषन/अनुदान हेतु दिनांक 6.8.1975 से प्रभावी पेंषन नियमावली भी प्रख्यापित की गयी। इस नियमावली के नियमों में प्रदेष के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जीवनपर्यन्त पेंषन की सुविधा अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मृत्यु के पष्चात उनके पात्र आश्रितों को भी पारिवारिक पेंषन की सुविधा अनुमन्य है। षासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सन्तान (पुत्र/पुत्री) जेल में पैदा हुए हैं, उन्हें भी उक्त पेंषन का लाभ दिनांक 07.6.2001 से दिया जाय।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को विभिन्न प्रयोजनों यथा सेनानी की पुत्री, आश्रित बहन, पौत्री अथवा विधवा पुत्री की पुत्री के विवाहार्थ तथा उनके परिवार की चिकित्सा आदि के लिये दिये जाने वाले अनुदान की तदर्थ व्यवस्था को समाप्त कर दिनांक 01 फरवरी, 1996 से उनकी पेंषन के साथ रूपया 250/— प्रतिमाह प्रदान किया जाता रहा है, जिसे 01 जून, 1998 से बढ़ाकर रूपया 350/— कर दिया गया है तथा दिनांक–16.02.2009 से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंषन रूपया 3,150/— महॅगाई राहत रूपया 2,142/— एवं विभिन्न प्रयोजनों हेतु अनुमन्य धनराषि रूपया 464/— अर्थात कुल रूपया 5,756/— पेंषन का भुगतान किया जा रहा है।

——2

परिवहन सुविधा

वर्श–1983 से स्वतंत्रता सेनानियों को उत्तर प्रदेष राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में पूरे प्रदेष में निःषुल्क यात्रा की सुविधा अनुमन्य की गयी। वर्श–1989 से एक सहचर के साथ पूरे प्रदेष में निःषुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गयी है। वर्तमान में यह सुविधा उत्तर प्रदेष राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रदेष के बाहर के लिए भी अनुमन्य की गयी है।

मृतक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता

पूर्व में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दिवंगत होने पर उनके दाह संस्कार हेतु उनके पात्र आश्रितों को रूपये 2000/– दिया जा रहा था जिसे राज्य सरकार द्वारा दिनांक–27.01.2007 से बढाकर रूपया 5000/– कर दिया गया है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिशद

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कठिनाइयों आदि के निवारण के लिए राज्य स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिशद की स्थापना की गयी है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन

प्रदेष के वृद्ध एवं निराश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था करने के उद्देष्य से लखनऊ में एक सेवा सदन की स्थापना की गई है, जिसमें 25 सेनानियों की स्थाई तथा 5 आकस्मिक अभ्यागतों के लिए रहने की व्यवस्था है। सेवा सदन रीवर बैंक कालोनी में स्थित है। इसी प्रकार के एक सेवा सदन की स्थापना हाल ही में मथुरा जिले में की गयी है। लखनऊ स्थित उक्त सदन की देखभाल हेतु अधीक्षक का पद स्वीकृत है।

स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान

स्वतंत्रता संग्राम में षहीद होने वाले तथा अन्य विषिश्ट सेनानियों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देष्य से प्रदेष सरकार द्वारा स्मारकों, स्तम्भों तथा मूर्तियों का निर्माण कराया जाता है। यह कार्य उत्तर प्रदेष स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान के माध्यम से कराया जाता है।

उद्देष्य :—

राजनैतिक पेंषन विभाग, राश्ट्रीय भावना एवं निश्काम भाव से प्रेरित होकर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानी पेंषन, उनकी सुविधाओं तथा सहायता एवं सेनानियों की याद में मूर्ति/स्मारक/स्तम्भ निर्माण आदि से सम्बन्धित कार्य कलाप सम्पादित करने के उद्देष्य से कार्यरत है।

कार्य :—

उक्त उद्देष्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित कार्य किये जाते है :—

1— राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके आश्रितों को रूपये 5,756/— प्रतिमाह की पेंषन व अन्य सुविधायें प्रदान की जाती है। वर्तमान में राज्य में सेनानियों की संख्या 2556 व उनके आश्रितों की संख्या 4619 है।

2— स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान द्वारा मूर्ति/स्मारक/ स्तम्भ का निर्माण कराया जाता है। इस हेतु चालू वित्तीय वर्श में रू0 30.00 लाख की व्यवस्था है।

3— स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के रहने के लिए सेवा—सदन का निर्माण। सेवा सदन, लखनऊ में 25 स्थायी सेनानी तथा 5 आकस्मिक अभ्यागतों तथा सेवा सदन, मथुरा में 20 सेनानियों के रहने की व्यवस्था है। सेवा सदन में केन्द्रीय सेनानियों के लिये रू0 450/— प्रतिमाह तथा राज्य सेनानियों के लिये रू0 200/— प्रतिमाह भुगतान किये जाने पर रहने की व्यवस्था है। सेनानियों को प्रतिदिन एक किलोग्राम दूध, रू0 4/—का फल, दो समय का खाना तथा प्रतिमाह 300 ग्राम तेल, 2 नहाने के साबुन एवं दो कपड़े धोने के साबुन तथा 750 ग्राम चीनी उपलब्ध करायी जाती है। आकस्मिक अभ्यागतों को रू0 8/— के भुगतान पर दो समय का प्रतिदिन का भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

4— स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में 2 प्रतिषत की आरक्षण की सुविधा।

5— स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उ0प्र0 राज्य परिवहन निगम की बसों में निःषुल्क यात्रा की सुविधा। इस हेतु रू0 5.00 लाख की आय—व्ययक में व्यवस्था है।

6— दिवंगत सेनानियों के दाह संस्कार हेतु उनके आश्रितों को रू0 5000/— का अनुदान देना।

——4

2— अधिकारियों / कर्मचारियों की षक्तियॉ और कर्तव्य

सामान्यतः षासन में विभागीय प्रमुख सचिव / सचिव नियुक्त होते हैं जो विभाग को नियंत्रित करते हैं। गृह राजनैतिक पेंषन विभाग में सचिव / प्रमुख सचिव दोनो तैनात हैं जिनके पास विभाग की समस्त कार्यकारी / वित्तीय षक्तियां निहित हैं। विभाग के अनतर्गत सचिव / प्रमुख सचिव के सीधे नियंत्रण में गृह (सामान्य) अनुभाग—1,2 हैं। सचिवालय की व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली के हिसाब से सभी अनुभाग में अनुभाग अधिकारी तैनात हैं। जिनके नियंत्रण में अनुसेवक, टंकक, सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी कार्य करते हैं। अनुभाग के सभी कर्मी सचिवालय मैनुअल में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करते हैं।

3— <u>विनिष्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।</u>

सचिवालय के सभी अनुभागों में सचिवालय मैनुअल में निर्दिश्ट प्रक्रिया और नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। सचिवालय मैनुअल में ही पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में विवरण दिये गये हैं। अनुभाग का प्रभारी अनुभाग अधिकारी होता है। सचिवालय मैनुअल के प्रस्तर–2 से 16 में अनुभाग अधिकारियों को सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की डायरी का निरीक्षण करने के सम्बन्ध में निर्देष दिये गये हैं ताकि अनुभाग में होने वाले कार्यो का सही आंकलन हो सके और प्रत्येक कार्मिक के पटल पर लम्बित स्थिति का भी पता चल सके। विभाग में होने वाले कार्यो का परीक्षण करने के लिये प्रमुख सचिव स्तर पर स्टाफ मीटिंग की जाती है जिसमें प्रत्येक प्रकार के कार्यो की स्थिति/प्रगति का पता चलता है।

——6

4– <u>अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा सत्यापित मापमान</u>

सचिवालय में प्रमुख सचिव स्तर से लेकर अनुभाग स्तर तक के अधिकारी षासन द्वारा निर्धारित कार्य सीमा में रह कर अपना कार्य सम्पादित करते हैं। कार्यालय आने–जाने एवं लंच आदि का समय सचिवालय प्रषासन द्वारा निर्धारित है। षासकीय कार्य में समयषीलता का अनुपालन करने हेतु समय–समय पर निर्देष व नीति निर्गत होती रहती है जिसका अनुपालन सबके द्वारा किया जाता है। गृह (सामान्य) विभाग में भी स्थापित मानकों का पालन किया जाता है।

5– <u>अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेष, निर्देषिका व अभिलेख।</u>

6– <u>ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवगों का विवरण</u>

1– उत्तर प्रदेष स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों को दिये जाने वाले अनुदान तथा स्वतंत्रता संग्राम पेंषन सम्बन्धी नियमावली।

2– उत्तर प्रदेष लोकतंत्र सेनानियों को दिये जाने वाली सम्मान राषि सम्बन्धी नियमावली–2006

3– भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में षहीदों की स्मृति में षहीद स्तम्भों/स्मारकों का निर्माण/प्रतिमाओं की स्थापना के प्रस्तावों के निस्तारण की प्रक्रिया सम्बन्धी, गृह (सामान्य) अनुभाग–1 का षासनादेष संख्या– 576 जेड/6–सा–1–7 के0पी0/89, दिनांक 09 मार्च, 1989

4– उत्तर प्रदेष राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिल रही पेंषन का गृह (सामान्य) अनुभाग–1 के षासनादेष संख्या– 231 जेड/6–सा–1–09–61जी/85, दिनांक 16 फरवरी, 2009

षाखा स्तर पर होने वाले अधिश्ठान सम्बन्धी कार्य यथा जी0पी0एफ0, अवकाष स्वीकृति, एल0टी0सी0, अनुषासनिक कार्यवाही आदि से सम्बन्धित कार्य विनिर्दिश्ट नियमों और नियमावली के अन्तर्गत किये जाते हैं। इस तरह गृह (सामान्य) सचिव षाखा का अधिश्ठान कार्य, स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति/स्मारक निर्माण का कार्य गृह (सामान्य) अनुभाग–1 में होता है। गृह (सामान्य) अनुभाग–2 में के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंषन सम्बन्धी समस्त कार्य व्यवहृत होता है।

7— किसी व्यवस्था की विषिश्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्ष के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं।

गृह (सामान्य) अनुभाग—1 के नियंत्रणाधीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिशद, स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान तथा सेवा सदन लखनऊ व मथुरा में कार्यरत है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिशद द्वारा प्रदेष भर के स्वतंत्रता सेनानियों का विवरण रखा जाता है। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंषन से सम्बन्धित समस्याओं का निस्तारण एवं विभिन्न जनपदों को इस निमित्त धन आवंटन की कार्यवाही की जाती है। सेनानियों के कल्याण के लिए आवष्यक सुझााव कल्याण परिशद द्वारा षासन को दिये जाते हैं।

स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियों/स्मारकों के निर्माण के सम्बन्ध में संस्तुति दी जाती है तथा षासन द्वारा स्वीकृत धनराषि का उपयोगिता प्रमाण पत्र और कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी से प्राप्त कर षासन/महालेखाकार उत्तर प्रदेष इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाता है।

सेनानियों के कल्याणार्थ सेवा सदन का निर्माण किया गया है जिसमें उनके रहने एवं खाने की व्यवस्था की जाती है।

8— <u>बोर्डो, परिशदों, समितियों और अन्य निकायों विशयक</u>

गृह (सामान्य) अनुभाग—1 के नियंत्रणाधीन गठित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिशद के गठन का मूल उद्देष्य सेनानियों की कठिनाईयों का निवारण करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी परिशद के अध्यक्ष तथा विभागीय मंत्री जी परिशद के पदेन उपाध्यक्ष हैं। परिशद द्वारा दिये गये सुझावों पर षासन द्वारा विचार किया जाता है। परिशद के कुषल संचालन हेतु निदेषक/सचिव नियुक्त है तथा उनके अधीन एक अनुभाग अधिकारी सहित 12 कर्मी तैनात है।

9– अपने अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देषिका

क्र0 संख्या	नाम/पदनाम	पता		दूरभाष	
		कार्यालय	आवास	कार्यालय	आवास
1-	**श्रीमती डिम्पल वर्मा,** प्रमुख सचिव, नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन विभाग	11 नवीन भवन	1/73, जी. , विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	2238155 2213401	9910038531
2-	**श्री मनोज मिश्र,** सचिव, नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन विभाग	511-बापू भवन	1/20, विराट खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ	2238117 2214552	0522–2391855
3-	**श्री स्वामी नाथ पाण्डेय,** संयुक्त सचिव, नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन विभाग	318-तृतीय तल, लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी)	529-डी/2/875, आदर्श कालोनी, आदिल नगर, लखनऊ	2213846	2339777 9454412576
4-	**श्रीमती प्रतिज्ञा चैहान,** अनुभाग अधिकारी राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1	219-द्वितीय तल, लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी)	सी-3, चन्द्रा अपार्टमेन्ट, कबीर मार्ग, निकट योजना भवन, लखनऊ	2215115	9454413001
5-	**श्री महेन्द्र सिंह,** अनुभाग अधिकारी राजनैतिक पेंशन अनुभाग-2	219-द्वितीय तल, लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी)	9-इशानिका ग्रीन्स कालोनी, आई0आई0एम0 रोड, लखनऊ	2215114	9454411872
6-	**श्री देशराज,** अनुभाग अधिकारी राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3	219-द्वितीय तल, लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी)	12-बी/284, वृन्दावन कालोनी रायबरेली रोड, लखनऊ	2215115	9454411702

10— <u>अधिकारी / कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक</u>

क्र0सं0	पद संख्या	वेतनमान
1	अनुभाग अधिकारी —04	रूपये 9300 से 34800
2	समीक्षा अधिकारी —25	रूपये 9300 से 34800
3	सहायक समीक्षा अधिकारी —13	रूपये 5200 से 20200
4	टंकक —02	रूपये 5200 से 20200
5	अनुसेवक —14	रूपये 4440 से 7440

11— सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टो की विषिश्टियां उपदर्षित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

वित्तीय वर्श 2009—10 में गृह (सामान्य) अनुभाग—1 के नियंत्रणाधीन ईकाईयों को आबंटित धनराषि का विवरण

अनुदान संख्या—28

आयोजनेत्तर

क्र0 सं0	आय—व्ययक लेखा शीर्षक	वर्ष 2009—2010 के लिये बजट आवंटन (रूपये में)	जारी वित्तीय स्वीकृतियां (रूपये में)	जारी होने का विवरण
1	2	3	4	5
1.	2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण —60— अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम— 107— स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंषन योजना—03— स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंषन—33—पेंषन / आनुतोशिक / अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ	40,00,00,000	40,00,00,000	षासनादेष संख्या—545 जेड / 6—सा—1—09—9जी / 09, दिनांक 02.04.09
2.	2251—सचिवालय—सामाजिक सेवायें— 092— अन्य कार्यालय— 03 —उ0 प्र0 स्व0 सं0 से0 कल्याण परिषद से संबंधित अधिष्ठान मुख्यालय	59,63,000	59,63,000	षासनादेष संख्या— 547 जेड / 6—सा—1—09—2केपी / 09, दिनांक 02.04.09
3.	2251—सचिवालय—सामाजिक सेवायें— 200— अन्य योजनाएं — 03 — स्व0 सं0 से0 सेवा सदन से संबंधित अधिष्ठान मुख्यालय	40,86,000	40,86,000	षासनादेष संख्या— 546 जेड / 6—सा—1—09—4केपी / 09, दिनांक 02.04.09

4.	2251–सचिवालय–सामाजिक सेवायें– 200– अन्य योजनाएं – 04 – उ0 प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहायता संस्थान – 20 – सहायक अनुदान / अंषदान/राज सहायता 43 – वेतन भत्तों आदि के लिए सहायक अनुदान	2,50,000 11,81,000	1,25,000 5,90,000 1,25,000 5,91,000	षासनादेष संख्या– 853 जेड /6–सा–1–06–16केपी/06, दिनांक 01.4.09 तथा षासनादेष संख्या– 2237जेड /6–सा–1–06–16केपी/06, दिनांक 04.10.09 षासनादेष संख्या– 548(2) जेड/6–सा–1–06–16केपी/06, दिनांक 12.10.09

5.	05—स्व0सं0से0कल्याण संस्थान द्वारा स्व0संग्राम के शहीदों के स्मारकों / स्तम्भों के निर्माण तथा जन्मषताब्दी आदि के लिए सहायक अनुदान—48—पूंजीगत व्यय के लिए सहायक अनुदान	30,00,000	——	परिपक्व प्रस्तावों पर वित्त विभाग की सहमति एवं मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरान्त मूर्ति / स्मारक निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा सकेगी।
6.	06—मृतक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दाह—संस्कार हेतु उनके आश्रितों को सहायता— 20—सहायक अनुदान / अंषदान / राज सहायता	8,00,000	4,00,000 4,00,000	षासनादेष संख्या— 549 अ जेड / 6—सा—1—09—8जी / 09, दिनांक 02.04.09 षासनादेष संख्या—1448अ जेड / 6—सा—1—09—8जी / 09, दिनांक 12.10.09
7.	3055—सड़क परिवहन— 03—स्व0 सं0 सेनानियों को उ0प्र0 रा0 सड़क परिवहन निगम की बसों में निःषुल्क यात्रा सुविधा के लिए निगम को भुगतान—42—अन्य व्यय	5,00,000	5,00,000	षासनादेष संख्या—502 जेड / 6—सा—1—09—9जी / 09, दिनांक 02.04.09

12– सहायिकी कार्यक्रमों के निशपादन की रीति जिसमें आबंटित राषि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित हैं :–

इससे सम्बन्धित सूचना “षून्य” है।

13– अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापनों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विषिश्टियाँ:–

इससे सम्बन्धित सूचना "षून्य" है।

14– किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे जो उसके उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों :–

इससे सम्बन्धित सूचना "षून्य" है।

15– सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों हेतु उपलब्ध सुविधाओं का ब्योरा यथा पुस्तकालय अथवा अध्ययन कक्ष की व्यवस्था :–

इससे सम्बन्धित सूचना "षून्य" है।

16— राजनैतिक पेंशन विभाग में नामित जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण :—

क्र0 संख्या	**नाम/पदनाम**	**पता**		**दूरभाष**	
		कार्यालय	**आवास**	**कार्यालय**	**आवास**
1-	**श्री स्वामी नाथ पाण्डेय,** संयुक्त सचिव, नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन विभाग	318-तृतीय तल, लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी)	529-डी/2/875, आदर्श कालोनी, आदिल नगर, लखनऊ	2213846	2339777 9454412576

17— ऐसी अन्य सूचनाएं जो निहित की जाएं :—

इससे सम्बन्धित सूचना “षून्य” है।